

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के 1.) महेन्द्र गंजू पिता- स्व. हेमलाल गंजू ग्राम- तापिन, थाना- माण्डू, जिला- हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- तापिन, थाना सं. 113 (गैरमजरुआ भूमि) खाता सं.- 1 के अधीन प्लॉट सं.- 90/1573 (गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी); कुल रकबा -02.00 एकड़ (गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (हजारीबाग क्षेत्र), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उपरोक्त दस दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

Aku
15/03/2024